UPBJ010052532021

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(कोर्ट नं01)बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (डा0 श्रीमती मनु कालिया), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02176

सत्र परीक्षण संख्या- 941/2021

उ0प्र0राज्य बनाम देवेन्द्र उर्फ लाला

थाना - चान्दपुर, जिला– बिजनौर।
मु0अप0सं0 396/2021

आरोप

मैं डा0 श्रीमती मनु कालिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं01, बिजनौर आप अभियुक्त **(1) देवेन्द्र उर्फ लाला** को निम्नवत आरोपित करती हूँ–

प्रथम: यह कि दिनांक 25–07–2020 को समय 05.20 बजे स्थान छत्रमन्नू चुखेडी वालों का बाग जंगल ग्राम चुखेडी थाना चान्दपुर जिला बिजनौर की सीमा के अन्तर्गत आप पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा आपकी जामा तलाशी पर पहनी पैन्ट के बांये फेंट में उरसा हुआ एक देशी तमन्चा 315 बोर तथा पहनी पैन्ट की बांयी जेब से 07 अद्द जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। इस प्रकार आपने आयुध की धारा 3/25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक 26.10.2021

(डा0 श्रीमती मनु कालिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं01, बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 26.10.2021

(डा0 श्रीमती मनु कालिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं01, बिजनौर।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं01, बिजनौर।
सत्रपरीक्षण सं0 941/ 2021
राज्य बनाम देवन्द्र उर्फ लाला

<u>26–10–2021</u> पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ लाला मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आरोप सृजित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु विवेचना में संकलित/ पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाता है।

दिनॉक 26.10.2021

(डा0 श्रीमती मनु कालिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं01, बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ लाला के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 22–11–2021 को पेश हो। सूची गवाहान से साक्षीगण सं0 1 ता 3 जरिये समन आहूत किये जाये।

दिनॉक 26.10.2021

(डा0 श्रीमती मनु कालिया)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं01, बिजनौर।

Digitally signed by DR SMT MANU KALIA
Date: 2021.10.26 17:26:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court